अध्याय 18

पिछड़े वर्ग की जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत

1- पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के साथ उसके निर्देश-निबंधन (टर्मस् आफ रिफरेन्स)की प्रथम कंडिका में ''मध्य प्रदेश राज्य के वास्तविक निवासियों में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग व समूह कौन-कौन से है और इन पिछड़े वर्गो का बाहुल्य राज्य के किन जिलों में है'' की जांच कर रिपोर्ट व सिफारिश करने का दायित्व सौपा गया है। इस संबंध में आयोग द्वारा पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सर्वप्रथम पिछड़े वर्गो व जातियों की प्रस्तावित सूची में उल्लेखित वर्गों व जातियों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 1982 में कितनी है एवं आबादी का क्या प्रतिशत, उसकी जानकारी एकत्र करने का कार्य किया है।

2- जनगणना विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि सन् 1931 में अंतिम बार और तत्कालीन देशी रियासत ग्वालियर में सन् 1941 में अंतिम बार जाति के आधार पर जनगणना की गई है। उसके पश्चात 1951,1961,1971, व 1981 में की गई जनगणना अनुसूचित जाति एवं जनजाति को छोड़कर जनगणना जाति के आधार पर नहीं हुई हैं।

3- आयोग ने अपने कार्यालय से जिला अधिकारियों को परिपत्र भेजकर पिछड़े वर्गो की आबादी अपने- अपने जिलों से शीघ्र भिजवाने हेतु लिखा तथा समय-समय पर स्मरण पत्र भी भेजे लेकिन आयोग द्वारा पूरे प्रयास के बावजूद प्रदेश के कुल 45 जिलों में से केवल 28 जिलों से जनगणना बावत जानकारी प्राप्त हुई है। शेष 17 जिलों की जानकारी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

जिलों से प्राप्त जनगणना जानकारी का अवलोकन करने पर तथा अध्ययन करने पर मालूम हुआ कि जिलों से प्राप्त जनगणना जानकारी में पिछड़े वर्ग की जातियों की जनसंख्या की सही नीति स्पष्ट नहीं हुई है। जातियों की आबादी कुछ जिलों में शून्य दर्शायी गयी है, जबकि वास्तविक रूप से उन जिलों में उस जाति की जनसंख्या काफी तादाद में विद्यमान है।

अतः आयोग ने इस विषय को महत्वपूर्ण मानते हुए सावधानीपूर्वक जनगणना प्रतिवेदनों का गहराई से अध्ययन कर पिछड़े वर्ग की आबादी की सही जानकारी निकालने का प्रयास किया है और

उसका विवरण सहित रिपोर्ट में दे रहे हैं।

3- आयोग ने जनगणना रिपोर्ट में पाया कि सन् 1921-31 की जनगणना रिपोर्ट में पिछड़े वर्गो की कुछ जातियों की आबादी के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अर्थात थोड़ी संख्या वाली जातियों के जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उनकी आबादी को एक साथ, कम संख्या वाली जातियों (माइनर कास्ट) के रूप में संयुक्त आंकड़े दिए गए है। आयोग ने 1921 की जनगणना के आंकड़े एकत्रित करते समय जनगणना रिपोर्ट 1921 वाल्यूम-1 पार्ट-टेबिल 15 पेज 149 पर अंकित पाया कि 1901 को जनगणना रिपोर्ट में संपूर्ण जातियों की जनसंख्या का विवरण दिया गया है बाद की जनगणना 1911 में कम जनसंख्या वाली जातियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया है तथा जनगणना 1921 में भी ऐसा ही हुआ है। आयोग ने अधिक से अधिक जातियों की आबादी की जानकारी प्राप्त करने हेतु सन् 1901की जनगणना रिपोर्ट के आंकड़े एकत्र किये एवं उनको आधार माना है।

4- आयोग ने प्रश्नावली जारी करके भी प्रस्तावित पिछड़े वर्गों व जातियों के प्रतिनिधियों व अन्य सूत्रों के माध्यम से आबादी के आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो सकें। पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों व उनके सामाजिक संगठनों ने आबादी के जो आंकड़े बताए है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके समर्थन में न तो कोई अधिकृत प्रमाण प्रस्तुत कियें हैं और न ही कोई आधार दिया है । दूसरे एक ही जिले में एक ही जाति के लोगों से जो प्रश्नावलियां उनके प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई हैं उनमें अंकित संख्या में काफी भिन्नता देखने को मिली है। अतः पिछड़ी जाति संगठनों व प्रतिनिधियों द्वारा दर्शायी गई जनसंख्या की सत्यता पर विश्वास करने का कोई समुचित आधार नहीं है।

5. कुछ जातियों की जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट में प्राप्त नहीं हुई और न जिलों से प्राप्त जानकारी में प्राप्त हुई है, लेकिन भारत सरकार द्वारा 1955 में गठित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काकाकालेलकर आयोग) ने उन जातियों की जनसंख्या की जानकारी मध्यभारत,विन्ध्य प्रदेश भोपाल राज्य तथा पुराने मध्य-प्रदेश के क्षेत्रों की दर्शायी है। ऐसी जातियों की आबादी जो काकाकालेलकर आयोग प्रतिवेदन में उल्लखित है उसको इस आयोग द्वारा आधार मान कर तथा 1982 तक वृद्धि दर के अनुपात से बढ़ाकर इस रिपोर्ट में शामिल की है।

6- शेष जिन जातियों की आबादी उपलब्ध नहीं है। उनके संबंध में आयोग किसी भी प्रकार से आबादी के आंकड़े व प्रतिशत देने में अपने को असमर्थ पा रहा है इसके लिये उन जातियों के द्वारा

प्रस्तुत प्रश्नावली ज्ञापन व व्यक्तिगत संपर्क से आयोग ने प्रदेश का भ्रमण करने के दौरान अपनी जानकारी से प्राप्त किया है लेकिन परिशिष्ट को देखने से स्पष्ट है कि कुछ हिन्दू जातियों व मुस्लिम समुदायों की आबादी के आंकड़े प्राप्त नहीं हो पायें हैं,आयोग के भ्रमण के दौरान .यह जातियां प्रदेश के कई भागों में निवास करती हुई पाई गई तथा सदस्यों को उसकी व्यक्तिगत जानकारी है। अतः आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस प्रकार ऐसी शेष जातियों की आबादी 10 प्रतिशत से कम किसी कभी हालत में नहीं है।

7- सन् 1921 की जनगणना के समय ग्वालियर राज्य सेन्ट्रल इंडिया एजेन्सी में शामिल था, लेकिन 1931 में इस स्टेट के लिये रेजीडेन्सी कायम हो गयी, इसलिये 1931 में ग्वालियर स्टेट की अलग जनगणना तथा सेन्ट्रल इंडिया एजेन्सी की अलग जनगणना हुई। सेन्ट्रल इंडिया एजेन्सी (ग्वालियर सहित) की जनगणना में मध्यभारत विन्ध्य प्रदेश तथा भोपाल राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी देशी रियासतों का भू भाग शामिल था। एवं सेन्ट्रल,प्राविसेंस एंड बरार की जनगणना में महाराष्ट्र में 1955 में शामिल 8 जिलों (नागपुर, चांदा, बुल्ढाना, यवतमाल, बर्धा, अमरावं अकोला तथा भंडारा) को छोड़ कर अर्थात महाकौशल के 17 जिलों की जनगणना तथा छत्तीसगढ़ के तत्कालीन देशी रियासतों की जनगणना को जोड़ने पर वर्तमान मध्य-प्रदेश की अनुमानित आबादी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार 1901 व 1921 की प्राप्त जनगणना रिपोर्ट से पिछढ़े वर्ग में आने वाला जातियों की आबादी निकाल कर तथा आधार वर्ष से प्रत्येक जाति की आबादी निकाल कर तथा आधार वर्ष से प्रत्येक जाति की आबादी में 1982 तक वृद्धि कर पिछड़े वर्ग की प्रदेश की आबादी निकाली गई है। जिसको आगे तालिका में दर्शाया गया है।

8- मध्यप्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 20 प्रतिशत प्रति दशक की दर से हुई है । अनुसूचित जाति व जन जाति की वृद्धि दर कई दशकों में 35 से 40 प्रतिशत तक हुई है। पिछड़ी जातियों का रहन- सहन वातावरण अनुसूचित जातियों व जन जातियों की तरह ही है। पिछड़ी जातियों के लोग शिक्षा की कमी एवं अज्ञानता के कारण परिवार-नियोजन की ओर बहुत कम ध्यान देते है । अब आयोग की ऐसी मान्यता है कि पिछड़े वर्ग की वृद्धि दर अनुसूचित जातियों व जन जातियों के समान ही इस प्रदेश में हुई है। उक्त कारणों से आयोग पिछड़े वर्गों के आंकड़ो की वृद्धि दर तीस प्रतिशत प्रति दशक मानता है। इसीलिये आयोग ने सर्व सम्मति से 30 प्रतिशत प्रति दशक के आधार पर पिछड़े वर्गो की आबादी की वृद्धि दर मानकर अनुमानित आंकड़े तैयार किये हैं जो न्याय संगत हैं।

आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में मध्यप्रदेश में पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों की आबादी के आंकड़े दिये थे, जिसे अपनी इस अंतिम रिपोर्ट में भी संलग्न करते हैं, जो आगे परिशिष्ट

उसका विवरण सहित रिपोर्ट में दे रहे हैं।

3- आयोग ने जनगणना रिपोर्ट में पाया कि सन् 1921-31 की जनगणना रिपोर्ट में पिछड़े वर्गो की कुछ जातियों की आबादी के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अर्थात थोड़ी संख्या वाली जातियों के जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, उनकी आबादी को एक साथ, कम संख्या वाली जातियों (माइनर कास्ट) के रूप में संयुक्त आंकड़े दिए गए है। आयोग ने 1921 की जनगणना के आंकड़े एकत्रित करते समय जनगणना रिपोर्ट 1921 वाल्यूम-1 पार्ट-टेबिल 15 पेज 149 पर अंकित पाया कि 1901 को जनगणना रिपोर्ट में संपूर्ण जातियों की जनसंख्या का विवरण दिया गया है बाद की जनगणना 1911 में कम जनसंख्या वाली जातियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया है तथा जनगणना 1921 में भी ऐसा ही हुआ है। आयोग ने अधिक से अधिक जातियों की आबादी की जानकारी प्राप्त करने हेतु सन् 1901की जनगणना रिपोर्ट के आंकड़े एकत्र किये एवं उनको आधार माना है।

4- आयोग ने प्रश्नावली जारी करके भी प्रस्तावित पिछड़े वर्गों व जातियों के प्रतिनिधियों व अन्य सूत्रों के माध्यम से आबादी के आंकड़े प्राप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन सही आंकड़े प्राप्त नहीं हो सकें। पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधियों व उनके सामाजिक संगठनों ने आबादी के जो आंकड़े बताए है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके समर्थन में न तो कोई अधिकृत प्रमाण प्रस्तुत कियें हैं और न ही कोई आधार दिया है । दूसरे एक ही जिले में एक ही जाति के लोगों से जो प्रश्नावलियां उनके प्रतिनिधियों से प्राप्त हुई हैं उनमें अंकित संख्या में काफी भिन्नता देखने को मिली है। अतः पिछड़ी जाति संगठनों व प्रतिनिधियों द्वारा दर्शायी गई जनसंख्या की सत्यता पर विश्वास करने का कोई समुचित आधार नहीं है।

5. कुछ जातियों की जनसंख्या जनगणना रिपोर्ट में प्राप्त नहीं हुई और न जिलों से प्राप्त जानकारी में प्राप्त हुई है, लेकिन भारत सरकार द्वारा 1955 में गठित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काकाकालेलकर आयोग) ने उन जातियों की जनसंख्या की जानकारी मध्यभारत,विन्ध्य प्रदेश भोपाल राज्य तथा पुराने मध्य-प्रदेश के क्षेत्रों की दर्शायी है। ऐसी जातियों की आबादी जो काकाकालेलकर आयोग प्रतिवेदन में उल्लखित है उसको इस आयोग द्वारा आधार मान कर तथा 1982 तक वृद्धि दर के अनुपात से बढ़ाकर इस रिपोर्ट में शामिल की है।

6- शेष जिन जातियों की आबादी उपलब्ध नहीं है। उनके संबंध में आयोग किसी भी प्रकार से आबादी के आंकड़े व प्रतिशत देने में अपने को असमर्थ पा रहा है इसके लिये उन जातियों के द्वारा

एवं तालिकाओं द्वारा दर्शाये गये हैं। आयोग ने निर्देश एवं निबंधन की प्रथम कंडिका के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के वास्तविक निवासियों में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गो व समूह की जानकारी तथा उनका बाहुल्य किन-किन जिलों में हैं, चाहा गया है। अतः आयोग ने प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछड़े वर्ग की जिलेवार जनसंख्या का उच्च क्रम चार्ट प्रतिशत में तैयार किया है, जिसे परिशिष्ट में दर्शाया है। आयोग ने मध्यप्रदेश राज्य में पिछड़े वर्गो व जातियों की अनुमानित जनसंख्या का जिलेवार विभाजन वर्ष 1982 तक का तैयार कराया है तथा पिछड़े वर्गो को सामान्य जातियों के साथ तुलनात्मक जिलावार चार्ट तैयार कराया है, जिसे परिशिष्ट में दर्शाया गया है। आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों की जनसंख्या आकार एवं उच्चताक्रम का चार्ट भी तैयार कराया है, जिसे परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

वर्तमान मध्यप्रदेश के **पुनर्गठन** 1955 के समय विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत, भोपाल राज्य अस्तित्व में थे। इनका गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1948 में देशी रियासतों के क्षेत्र को शामिल करके किया गया था, स्वतंत्रता **प्राप्ती** के पश्चात जिलों का पुनर्गठन हुआ जिसमें एक जिले में कई रियासतों के भू भाग शामिल हुवे। इस **पुनर्गठन** के कारण मध्यभारत, विन्ध्य प्रदेश तथा भोपाल क्षेत्र की देशी रियासतों की जाति के आधार पर प्राप्त जनगणना को वर्तमान **पुनर्गठन** जिलावार देना कठिन काम रहा है। इसी तरह एक रियासत के भू-भागों को कई जिलों में बांटा गया। उदाहरण के लिये रीवा स्टेट का भू-भाग चार जिलों अर्थात रीवा, सीधी, सतना तथा शहडोल में शामिल हो गया। अतः सन् 1931 या उससे पूर्व की जनगणनाओं से रीवा स्टेट की जनगणना के प्राप्त जातिवार आंकड़ों को जिलावार देना भी कठिन काम रहा है, इसी प्रकार अन्य देशी रियासतों की जनगणना को वर्तमान पुर्नगठित जिलावार बांटना आयोग के लिये कठिन कार्य रहा है। फिर भी आयोग ने अपने प्रयास द्वारा इस बारे में सही जानकारी देने का पूरा प्रयास किया है।

जिलों के अधिकारियों से भी जानकारी मंगाई गई है। आयोग ने स्वयं प्रयास करते जनगणना की रिपोर्ट का अध्ययन कर जानकारी एकत्र की है तथा यथासंभव सही जानकारी देने का प्रयास किया है।

आयोग अपनी जानकारी के आधार पर, यह महसूस करता है कि पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों की आबादी जो जनगणना रिपोर्ट में दी गई है,(खासकर 1931 या 1941 ग्वालियर स्टेट की) जनगणना उनसे अधिक वास्तविक आबादी उन जातियों की है। इसी प्रकार की आशंका आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अध्याय -3 पृष्ठ 14 पैरा 29 की टिप्पणी दृष्टव्य है।

CHAPTER II PAGE *@ AT ANDHARA PRADESH BACKWARD CLASS COMMISSION REPORT

Para-29

Many communities it may be mentioned have new names like Kayi Brahmin, Agnikula Kshatriya, Iadava, Pada Sali etc. They would naturally have objected to the census officer calling them Mangali, Palli, Golla, or Sale of Juleha, Many of the communities about whom there was some social stigma like Kalaventula would have got into some other big group like Kapu or Telga. In some cases due to some objection-able old stories, they whould have liked to get into some other group However, when they found that certain classes and communities were eligible to certain concessions in the field of Education and services, they would naturally give out their real names.

The net result will be that the population of these communities given in the census would be very much less that their actual population and this will natua-naturally give a wrong picture in regard to education and employment when percentages are calculated.

In such cases we have utilised our personal knowledge about these communities in determining their back-wardness.

यही स्थिति मध्यप्रदेश में रही है। आयोग ने पाया है कि पिछड़े वर्ग में शामिल कुछ जातियों की सन् 1921 से 1931 के दशक में आबादी की बढोत्तरी का प्रतिशत काफी कम रहा है तथा कुछ जातियों की आबादी की बढ़ोत्तरी न होकर, प्रतिशत भी घटा भी है। इस कारण 1931 के जनगणना रिपोर्ट के आंकड़ो को आधार मानने से गलत तस्वीर सामने आती है। आयोग ने इस विषय की खोज की तथा पाया कि इस दशक में पिछड़े वर्ग में शामिल जातियों ने अपने को क्षत्रिय ठाकुर या राजपूत वर्ग में शामिल किया है। अहीर, यादव क्षत्रिय, काछी-कुशवाह, क्षत्रिय, कुरमी, कुर्मक्षत्रिय, लोधी, राजपूत तथा मीना रावत व सौंधिया गड़रिया आदि जाति के लोगों ने अपने को क्षत्रिय ठाकुर या राजपूत बताया फलतः जनगणना अधिकारियों ने इन जातियों की आबादी को राजपूत या ठाकुर शीर्षक में शामिल किया। परिणामस्वरूप 1931 की जनगणना रिपोर्ट में इन जातियों की आबादी की बढ़ोत्तरी का प्रतिशत सामान्य जनसंख्या वृद्धि से गिर गया तथा राजपूत शीर्षक जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई। इस संबंध में सेन्सस आफ इंडिया 1931 वाल्यूम वाईस ग्वालियर,पार्ट वन रिपोर्ट में (चेपटर बारह) पैरा 140 पर निम्न टीप दृष्टव्य है:-

Rajput

The caste grows not so much by natural processes as by assessions from out side. This accounts for the extra-ordinary increase of 56 percent in its number during the decade. There are gaps and breaches all along the frontiers of this caste and to each of the innemerable steps composing it there is a vast frings in which there is always room for some to cravel under and for those who are courageous enough to leap over the fence. Actual cusion of one communities with another seldom lakes place without the express verdict of the society and in may cases claims many be persisted in for generations without success. But there are indications that a census is used as a lever by many communities and individuals for rising their social status on paper.

The general trend of the present figures seems to show that this caste has received large accretions from such castes as Ahir, Kachhi, Kurmi, Lodhi, Mina, Rawat Sondhia etc."

अतः आयोग का विश्वास है कि पिछड़े वर्ग की कुछ जातियों ने जैसे कि जोशी,(जायैशी) चारनभाट, बैरागी व लुहार आदि ने अपने को ब्राम्हण आदि ने अपने को वैश्य वर्ग में घोषित किया। सुहोश केसरा व तेली(साहू) आदि ने अपने को वैश्य वर्ण में घोषित किया होगा तथा जनगणना रिपोर्ट में उच्च वर्ण होने की जानकारी अधिकारियों को दी होगी। इस प्रकार पिछड़े वर्ग की जातियों की आबादी जनगणना रिपोर्ट में खासकर 1921 के पहले से यथा संभव जनसंख्या वृध्दि में गिरावट आयी। जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है। हालांकि इस प्रकार की प्रवृत्ति 1921 की जनगणना **सेन्ट्रल प्रोविन्सेस एण्ड बरार वाल्यूम पार्ट एक रिपोर्ट पेज 140 पर दी गई चेपटर ग्यारह कास्ट के पैरा 160 उल्लेखनीय हैः-**

Rajput

The principal land holding caste is that of the Rajputs who number 4,56,000 as against 4,41,000 in 1911. The increase is probably as nominal one due to individuals who during the decade claimed to have entered the Rajput fala and to this cause may be artibutedtothe increaseform102,00 to 1,91,000 among those who have returned themselves as Rajput without septs are to be found in Imperial Table XIII.

वैसे आयोग ने सही जानकारी निकालने का प्रयास किया है। इसका विवरण रिपोर्ट के साथ

दिया जा रहा है, लेकिन 1911 से सन् 1921 के दशक में यह प्रवृत्ति उतनी प्रबल नहीं थी जितनी कि सन् 1921 से1931 के बीच इस प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा । अतः आयोग ने अपने पूर्व टिप्पणियों के आधार पर सन् 1901 की जनगणना के आंकड़ो को आधार माना है तथा जो आंकड़े 1901 या 1911 में उपलब्ध नहीं हो सके 1921 के आंकड़ो को आधार माना है। इस प्रकार आयोग ने अपने पूरे प्रयासों से पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की जानकारी देने का प्रयास किया है। जनगणना की सही जानकारी तो जाति के हिसाब से जनगणना करा कर ही की जा सकती है। अतः आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार को आगामी जनगणना जाति के **आधार पर करने हेतुप्रस्ताव** करें क्योंकि यह विषय संघ सूची में शामिल वह केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रान्तर्गत आता है।

द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी संपूर्ण देश में अन्य पिछड़े वर्गो को अनुमानित जनसंख्या के आंकड़े दिये है और उनका प्रतिशत जनसंख्या अपने प्रतिवेदन के अध्ययन 14 अन्य पिछड़े वर्गो की पहिचान में किया हैं जो महत्वपूर्ण है। इसका विवरण निम्नलिखित है:-

(पेज 49-50 मंडल आयोग खंड 1 अध्याय 12 पैरा 19 से अंत तक)

अन्य पिछड़े वर्गो की अनुमानित जनसंख्या

12.19 जनसंख्या की क्रमबद्ध जातिवार गणना 1881 में भारत के महापंजीयक -द्वारा शुरू की गई थी और 1931 में इसे छोड़ दिया।

(ए) डा. हरजिन्द्र द्वारा सम्पादित ''कास्ट एमंग नान-हिन्दू इन इंडिया'' के.सी.एलैकजैंडर 1 गया था। इसलिये 1931 के आगे जातिवार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, परन्तु यह मानकर कि पिछली आधी शताब्दी के बाद से विभिन्न जातियों समुदायों तथा धार्मिक वर्गो की जनसंख्या की वृध्दि की दर लगभग कमोवेश वही रही है। इसलिये इनका प्रतिशत निकालना संभव है क्योंकि यह सब ही समूह देश की कुल जनसंख्या का निर्माण करते हैं।

12.20 उपयुक्त आधार पर कार्य करते हुए, आयोग ने 1931 की जनगणना अभिलेखों से जाति/समुदायवार जनसंख्या के आंकड़े चुने थे और तब उनका जाति तथा आधार पर समूह बनाये थे। बाद के ये समूह मुख्य शीर्षों के अंतगर्त शामिल किये गये थे,अर्थात (1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (2) गैर-हिन्दु समुदाय धार्मिक वर्ग आदि और (3) अन्य हिन्दू जातियों तथा समुदाय और (4) पिछड़ी हिन्दू जातियों तथा समुदाय (5) पिछड़ा गैर-हिन्दू समुदाय । इस अभ्यास के परिणाम नीचे की सारणी में दिये गये हैं और उस पर दृष्टि पात करने पर आयोग द्वारा अपनाए गये व्यापक वर्गीकरण का पता चलेगा।

12.21 जबकि हिन्दुओं ने अन्य पिछड़े वर्गो की जनसंख्या हिन्दुओं की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा उन्नत हिन्दु जातियों तथा समुदायों की जनसंख्या को घटाकर निकाली जा सकती है और यह 52% आती है, किंतु यही दृष्टिकोण गैर -हिन्दुओं के अन्य पिछड़े वर्गो के बारे में नहीं अपनाया जा सकता है। यह मानकर कि आमतौर पर गैर हिन्दुओं के मध्य अन्य पिछड़े वर्गो का अनुपात उसी क्रम में था,जैसा कि हिन्दुओं के बीच था, अर्थात 52 प्रतिशत(83.84 में से 43.70 प्रतिशत अथवा 8.40 प्रतिशत जनसंख्या के वास्तविक अनुपात की तुलना में 52 प्रतिशत मान लिया गया था)

इस प्रकार हिन्दु और गैर हिन्दु अन्य पिछड़े वर्गो की कुल जनसंख्या लगभग 52 प्रतिशत (43.70%- 8.40%) तक शामिल की गई थी।

12.22 उक्त बातों से यह विदित होगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्गो का प्रतिशत भारतीय जनसंख्या का लगभग 52 प्रतिशत होता है।

जाति तथा धार्मिक समूहों के आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रतिशत विवरण :-

क्रम संख्या	ग्रुप का नाम	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1.	2.	3.
(1)	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां	
	क-1 अनुसूचित जातियां	15.05
	क-2 अनुसूचित जनजातियां	7.51
	क का योग	22.56
(2)	गैर-हिन्दु समुदाय, धार्मिक समूह आदि	
	ख-1 मुसलमान (अनुसूचित जातियों के अलावा)	19 (0.02)
	ख-2 ईसाई (अनुसूचित जातियों के अलावा)	2.16 (0.44)
	ख-3 सिक्ख (अनुसूचित जातियों तथा अन. जातियों के अलावा)	1.67 (0.22)
	ख-4 बौद्ध(अनुसूचित जनजातियों के अलावा)	0.67 (0.03)
	ख-5 जैन (अनु . ज़नजातियों के अलावा)	0.47
	ख का योग	16.16

(3)	उक्त हिन्दु जातियों का समुदाय		
	ग-1	ब्राम्हण (भूमिहारों को मिलाकर)	5.52
	ग-2	राजपूत	3.90
	ग-3	मराठा	2.21
	ग-4	जाट	1.00
	ग-5	वैश्य बनिया आदि	1.88
	ग-6	कायस्थ	1.07
	ग-7	अन्य उन्नत हिन्दु जातियां/	2.00
		ग्रुप ''ग''का योग	17.58
		''क'''ख'' का और ग का योग	56.30
(4)	पिछड़ी हिन्दु जातियां तथा समुदाय		
	ग	वे शेष हिन्दु जातियां समूह जो अन्य पिछड़े वर्गो की श्रेणी में आते हैं	43.70
(5)	पिछड़े गैर -हिन्दु समुदाय		
	ड़	वर्ग ''ख'' के अंतर्गत धार्मिक ग्रुपों का 523 अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में माना जा सकता है।	8.40
	च	गैर हिन्दु समुदायों सहित अन्य पिछड़े वर्गो की प्राप्त की गयी लगभग जनसंख्या (''घ'' और ड़ के पूर्ण का कुल जोड़ लगभग)	52%

यह एक प्राप्त की गई संख्या है।

(कोष्टकों में दिये गये आंकडे इन गैर-हिन्दु समुदायों में से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बताते हैं)